प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0
विशाल काम्प्लेक्स, 19–ए, विधान सभा मार्ग
लखनऊ

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या :एन0आर0एच0एम0/एस0पी0एम0यू/मातृस्वा0//2012–13/ 527 **दिनाँक** 15.**06.2012**

विषय : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 हेतु प्रसव इकाइयों (डिलीवरी प्वाइंट) पर संविदा कर्मियों के पदों की स्वीकृति।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में उपकेन्द्रों, पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 एवं जिला चिकित्सालयों को प्रसव सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर **L-1, L-2** एवं **L-3** स्तर की प्रसव इकाइयों (डिलीवरी प्वाइंट) के रूप में चिन्हित किया गया है। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार उन उपकेन्द्रों को **L-1** प्रसव इकाई के रूप में मान्यता दी गई है जहाँ औसतन तीन प्रसव प्रतिमाह से अधिक होते हैं। इसी प्रकार उन प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चौबीस घण्टे प्रसव इकाई **L-2** के रूप में मान्यता दी गई है जहाँ औसतन दस प्रसव प्रतिमाह से अधिक होते हैं। जिन इकाइयों पर सीजेरियन/जटिल प्रसव होते हैं एवं रक्त भण्डारण की सुविधा है वे **L-3** स्तर (एफ0आर0यू0) के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। प्रदेश में विभिन्न स्तर के नियमित स्वास्थ्य कर्मियों यथा ए0एन0एम0 स्टाफ नर्स, महिला चिकित्सकों एवं सिजेरियन प्रसव हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा पर मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्था की गई है।

प्रसव इकाइयों (डिलीवरी प्वाइंट) पर संविदा कर्मियों की तैनाती हेतु सामान्य नियम –

1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रसव इकाइयों पर संविदा पर ए0एन0एम0,स्टाफ नर्स एवं एम.बी.बी.एस. महिला चिकित्सकों की नवीन नियुक्ति के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए यह निर्देश जारी किये जा रहे हैं।
2. तैनाती स्थलवार सभी स्वीकृत पदों की संख्या की सूची बनाकर चयन/तैनाती के सम्बन्ध में जो दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं, उन पर सर्वप्रथम जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के अन्तर्गत गठित शासी निकाय में चर्चा की जाय और सहमति प्राप्त की जाय। यदि शासी निकाय की बैठक में विलम्ब हो रहा हो तो अध्यक्ष–शासी निकाय से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। इस आदेश में जो निर्देश दिये गये हैं, उन प्रतिबन्धों के अधीन ही संविदा कार्मिकों की नवीन नियुक्ति की जाय।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी सभी पदों पर भर्ती हेतु तैनाती स्थलवार सभी स्वीकृत पदों की संख्या की सूची प्रकाशित कर विज्ञापन एवं व्यापक प्राचार–प्रसार के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त करें तद्पश्चात योग्य अभ्यर्थियों का जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के द्वारा अनुमोदित साक्षात्कार

2.......................

समिति के माध्यम से चयन किया जाय। साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों से तैनाती स्थल के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विकल्प भी दर्ज करवा लिये जांय, तद्पश्चात जिला स्वास्थ्य सोसाइटी अथवा अध्यक्ष–शासी निकाय से अनुमोदन प्राप्त कर **प्रारूप–3** पर प्रस्तुत अनुबन्ध पत्र पर नियुक्ति प्रदान की जाय।

4. यह संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों में स्वीकृत पदो के सापेक्ष अधिक कार्मिक रख लिये जाते हैं और उनका वेतन भी आहरण किया जाता है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी भी जनपद द्वारा ऐसा किया गया तो सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. कतिपय जनपदों से यह भी शिकायत प्राप्त हुई है कि राज्य मुख्यालय से स्वीकृत किये गये पदों के सापेक्ष उसी वित्तीय सीमा में अधिक कार्मिक तैनात कर लिये गये। यह गैर कानूनी है, अतः यदि ऐसी स्थिति पाई गई तो वित्तीय अनियमितता मानते हुए प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
6. संविदा कर्मियों/चिकित्सकों इत्यादि की **तैनाती स्थान विशेष के लिये होगी**। सभी तैनाती स्थल तथा प्रत्येक स्थल पर स्वीकृत पदों की संख्या एन0आर0एच0एम0 की वेबसांइट पर उपलब्ध करा दी गयी है।
7. सम्बन्धित संविदा कर्मी का वेतन दिये जाने से पहले उसके सम्बन्ध में एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर निर्धारित **प्रारूप–1** (पत्र के साथ संलग्न) पर सूचना अपलोड कर दी जाय जिससे मानदेय की धनराशि स्वीकृत होने के पश्चात संविदा कर्मियों की उपस्थिति एवं उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा सुनिश्चित करते हुए वेतन भुगतान की कार्यवाही की जाय। **प्रारूप–1** की प्रति माह जून के अन्त तक अवश्य ही मातृ स्वास्थ्य अनुभाग एस0पी0एम0यू0 कार्यालय को प्रेषित कर दी जाय
8. यह पुनः दोहराया जाता है कि समस्त संविदा कर्मियों का अनुबन्ध जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के साथ ही किया जायेगा।
9. किसी भी दशा में स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति स्थान विशेष पर कार्य करने का इच्छुक नहीं है तो उस स्थान पर संविदा समाप्त करने के उपरान्त किसी अन्य स्थान पर सक्षम स्तर से स्वीकृति के पश्चात ही नियमानुसार नवीन तैनाती की जा सकेगी।
10. यदि कोई संविदा कर्मी बिना किसी विशिष्ट कारण अथवा सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
11. संविदा कर्मी/चिकित्सक कालावधि के लिए किन्हीं पेन्शन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे। इन्हें ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि देय नहीं होगा।
12. संविदा कर्मी/चिकित्सक अपने विनियमतीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकेंगे और न ही इन्हें निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
13. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार संविदा पर कर्मियों की तैनाती में आरक्षण का यथा सम्भव पालन किया जायेगा।

3.......................

14. संविदा पर कार्यरत चिकित्सक/कर्मी की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस अथवा एक माह का समतुल्य मानदेय देकर समाप्त की जा सकेगी।

डिलीवरी प्वाइंट्स पर संविदा कर्मियों हेतु विशेष निर्देश –

1. L-1 *डिलीवरी प्वाइंट्स पर अतिरिक्त संविदा ए0एन0एम0 की तैनाती*

एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे 1370 मान्यता प्राप्त उपकेन्द्रों पर जहाँ (वर्ष 2011–12 की वेब बेस्ड M-5 फार्मेट पर माह नवम्बर 2011 तक की रिपोर्टिंग के आधार पर) 5 प्रसव से अधिक प्रसव प्रतिमाह होते हैं, वहाँ 24 घण्टे प्रसव सुविधायें देने हेतु अतिरिक्त संविदा ए0एन0एम0 की तैनाती करने के लिए निम्न प्रकार से व्यवस्था की गई है–

प्रथम श्रेणी– 841 उपकेन्द्रों पर जहाँ औसतन अधिकतम 5–20 प्रसव प्रतिमाह होते हैं वहाँ नियमित ए0एन0एम0 के साथ 01 अतिरिक्त संविदा ए0एन0एम0 की तैनाती की जाय ।

द्वितीय श्रेणी– 421 उपकेन्द्रों पर जहाँ औसतन अधिकतम 21–50 प्रसव प्रतिमाह होते हैं वहाँ नियमित ए0एन0एम0 के साथ 02 अतिरिक्त संविदा ए0एन0एम0 की तैनाती की जाय ।

तृतीय श्रेणी– तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत 108 उपकेन्द्रों पर जहाँ औसतन अधिकतम 50 से अधिक प्रसव प्रतिमाह होते हैं वहाँ 03 अतिरिक्त संविदा ए0एन0एम0 की तैनाती की जाय ।
इस प्रकार कुल 2007 अतिरिक्त संविदा ए0एन0एम0 हेतु जनपदवार एवं उपकेन्द्रवार स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। किसी भी दशा में आवंटित संख्या से अधिक संख्या में ए0एन0एम0 की तैनाती अनुमन्य नहीं होगी। यह 2007 पद उन संविदा ए0एन0एम0 से भरे जांय जो प्रसव सेवाओं में कुशल हों।
एक्रीडिटेड प्रसव इकाईयों पर तैनात अतिरिक्त ए0एन0एम0 के कार्य एवं दायित्व – इस प्रकार संविदा पर तैनात अतिरिक्त ए0एन0एम0 एवं नियमित ए0एन0एम0 के कार्य एवं उत्तरदायित्व में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं रखी जाय, सभी अतिरिक्त संविदा ए0एन0एम0 को उनके क्षेत्र का आवंटन कर दिया जाय तथा वे अपने आबंटित क्षेत्र में समस्त मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण, राष्ट्रीय कार्यक्रम, आशा एवं एन0आर0एच0एम0 की अन्य गतिविधियों के लिये पूर्णतया उत्तरदायी समझी जांय। इन्हें अपने क्षेत्र के लिए समस्त निर्धारित रजिस्टरों को व्यवस्थित रखना होगा तथा सभी सूचनायें अद्यतन रखनी होंगी। नियमित ए0एन0एम0 के समान ही इन्हें बैठकों में प्रतिभाग करना होगा तथा निर्देशानुसार सूचनायें उपलब्ध करानी होंगी। एक्रीडिटेड प्रसव इकाईयों पर तैनात सभी ए0एन0एम0 बारी–बारी से उपकेन्द्र पर रहकर प्रसव का कार्य तथा अन्य ए0एन0एम0 क्षेत्र में भ्रमण कर कार्य करेंगी।

इस प्रकार संलग्न जनपदवार सूची में दी गयी संख्या के अनुसार संविदा पर 2007 अतिरिक्त ए0एन0एम0 तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। अतिरिक्त ए0एन0एम0 तैनात किये जाने हेतु चयनित 1370 उपकेन्द्रों की जनपदवार सूची एवं उनके सापेक्ष स्वीकृत पदों की संख्या एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध करा दी गयी है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि पूर्व से कार्यरत सभी संविदा ए0एन0एम0 के वर्ष 2011–12 में किये गये कार्यों का **मूल्यांकन प्रारूप–2 ए** पर कर लिया जाय एवं मूल्यांकन के पश्चात् प्रसव सेवाओं में कुशल ए0एन0एम0 को ही अतिरिक्त संविदा ए0एन0एम0 के रूप में प्रसव इकाईयों पर तैनाती हेतु वरीयता प्रदान की जाय। अनुबन्ध के लिए **प्रारूप–3** का प्रयोग किया जाय। **वर्ष 2012–13 में संविदा पर कार्यरत ए0एन0एम0 को मासिक मानदेय ₹ 10,000.00 प्रतिमाह अनुमन्य है।** यह मानदेय इनके तैनाती स्थल पर योगदान की तिथि से दिया जाय एवं नियुक्ति के पश्चात इनके कार्यों का मूल्यांकन नियमिति रूप से मासिक **प्रारूप–2 ए** पर किया जाय जिसका सुचारू रूप से रख–रखाव मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर किया जाय।

2. *प्रदेश में ए0एन0एम0 के रिक्त पदों पर प्रथम संविदा ए0एन0एम0 की तैनाती*

परिवार कल्याण महानिदेशालय स्तर से उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर प्रदेश में ए0एन0एम0 के 4194 पद रिक्त हैं जिसके कारण दूरस्थ क्षेत्रों में नियमित टीकारण, गर्भवती की देखभाल व अन्य कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के दृष्टिगत इन सभी केन्द्रों पर वर्ष 2012–13 के लिए प्रथम संविदा ए0एन0एम0 तैनात की जानी हैं।

रिक्त पदों पर प्रथम संविदा ए0एन0एम0 के कार्य एवं दायित्व– उपकेन्द्रों के रिक्त पदों पर संविदा पर तैनात प्रथत ए0एन0एम0 के समस्त कार्य एवं उत्तरदायित्व नियमित ए0एन0एम0 की भांति ही होंगे।वे उपकेन्द्र निवास कर प्रसव, टीकाकरण, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी सेवाएं उपलब्ध कराएंगी साथ ही अपने कार्य क्षेत्र में रोस्टर के अनुसार आउटरीच सेवाएं भी उपलब्ध कराएंगी।

रिक्त पदों के सापेक्ष संविदा पर प्रथम ए0एन0एम0 की तैनाती हेतु महानिदेशक परिवार कल्याण द्वारा उपलब्ध करायी गयी जनपदवार संकलित सूची के आधार पर पदों की स्वीकृत प्रदान की गयी है मुख्य चिकित्साधिकारी यह सुनिश्चित करें की इन प्रथम संविदा ए0एन0एम0 की तैनाती रिक्त पदों के सापेक्ष ही की जाए जिससे किसी भी स्थिति में जनपद में कोई भी उपकेन्द्र खाली न रहे। ऐसे उपकेन्द्र जहाँ औसतन प्रसव 05 प्रतिमाह से कम होते हैं अथवा नहीं होते हैं, वहाँ 01 से अधिक ए0एन0एम0 न रखी जाय।

जनपदवार पदों की संख्या संलग्न तालिका पर एवं एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर प्रस्तुत है। किसी भी स्थिति में इस सूची में स्वीकृत पदों से अधिक पदों पर नवीनीकरण अथवा नई भर्ती नहीं की जाय।

5.......................

नवीन जनपद पंचशीलनगर,प्रबुद्धनगर एवं भीमनगर में ए0एन0एम0 के रिक्त पदों की सूचना महानिदेशालय स्तर पर उपलब्ध न होने के कारण उनके पद उनके मूल जनपदों में ही सम्मिलित हैं। उनके मूल जनपद कृपया समन्वय स्थापित कर नवीन जनपदों के पदों का आवंटन करें।

इस प्रकार संलग्न जनपदवार सूची में दी गयी संख्या के अनुसार संविदा पर 4194 प्रथम ए0एन0एम0 तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि पूर्व से कार्यरत सभी संविदा ए0एन0एम0 के वर्ष 2011–12 में किये गये कार्यों का **मूल्यांकन प्रारूप–2 ए** पर कर लिया जाय एवं मूल्यांकन के पश्चात् पूर्व से कार्यरत कुशल ए0एन0एम0 को ही प्रथम संविदा ए0एन0एम0 के रूप में रिक्त उपकेन्द्रों पर तैनाती हेतु वरीयता प्रदान की जाय। अनुबन्ध के लिए **प्रारूप–3** का प्रयोग किया जाय। नियुक्ति के पश्चात इनके कार्यों का मूल्यांकन नियमिति रूप से मासिक **प्रारूप–4 ए** पर एस0पी0एम0यू0 कार्यालय को प्रेषित की जाय। **वर्ष 2012–13 में संविदा पर कार्यरत ए0एन0एम0 को मासिक मानदेय ₹ 10,000.00 प्रतिमाह अनुमन्य है।** यह मानदेय इनके तैनाती स्थल पर योगदान की तिथि से दिया जाय एवं नियुक्ति के पश्चात इनके कार्यों का मूल्यांकन नियमिति रूप से मासिक **प्रारूप–2 ए** पर किया जाय जिसका सुचारू रूप से रख–रखाव मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर किया जाय।

3. L-2 *प्रसव इकाईयों पर संविदा पर स्टाफ नर्स की तैनाती –*

एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2012–13 में प्रत्येक 24x7 प्रसव इकाईयों (L-2 सी0एच0सी0 अथवा पी0एच0सी0) के लिए आवश्यकतानुसार चौबीस घंटे स्टाफ नर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ नर्सों की संविदा पर तैनाती का प्राविधान रखा गया है। माह नवम्बर 2011 तक एम–9 फारमेट पर संकलित रिपोर्ट के आधार पर पूर्व से उपलब्ध नियमित स्टाफ नर्सों को सम्मिलित करते हुए कुल 3 स्टाफ नर्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। इस प्रकार चयनित चौबीस घंटे प्रसव सेवाओं वाली इकाईयों सी0एच0सी0 अथवा पी0एच0सी0 के लिए 1436 पदों की स्वीकृति प्रदान की जा रही है जिनके तैनाती स्थल एवं प्रत्येक स्थल के सापेक्ष स्वीकृत पदों की संख्या एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध करा दिये गये हैं। जनपदवार संकलित स्वीकृत पदों की संख्या संलग्न तालिका पर प्रस्तुत है। किसी भी स्थिति में इस सूची में स्वीकृत पदों से अधिक पदों पर अथवा स्वीकृत तैनाती स्थलों के बाहर भर्ती नहीं की जाय।

कर्तव्य एवं दायित्व – L-2 प्रसव इकाईयों (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द) पर संविदा पर तैनात स्टाफ नर्स से किसी भी पाली में कार्य लिया जा सकता है। सम्बन्धित चिकित्सालयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक अपने विवेकानुसार, प्रसव के कार्य से सम्बन्धित समस्त नियमित एवं संविदा कर्मियों इत्यादि का पूल बनाकर रोटेशन में ड्यूटी लगायें। नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे सुनिश्चित करें कि इन इकाईयों पर चौबीसों घंटे प्रसव का कार्य निर्बाध रूप से चलता रहे। 24X7 इकाईयों पर संविदा स्टाफ नर्स का मुख्य कार्य प्रसव कराना, जटिल प्रसव होने पर चिकित्सकों को सहयोग देना, प्रसव कक्ष का रख–रखाव, नसबन्दी व सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में सहयोग देना, नवजात व जच्चा की पूर्ण देखभाल, टीकाकरण, वॉर्ड में भर्ती मरीजों की पूरी देखभाल तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा आवंटित अन्य कार्य हैं।

6.......................

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि पूर्व से कार्यरत सभी संविदा स्टाफ नर्स के वर्ष 2011–12 में किये गये कार्यों का **मूल्यांकन प्रारूप–2 बी** पर कर लिया जाय एवं मूल्यांकन के पश्चात् प्रसव सेवाओं में कुशल एवं पूर्व से कार्यरत स्टाफ नर्स को ही संविदा स्टाफ नर्स के रूप में L-2 प्रसव इकाईयों पर तैनाती हेतु वरीयता प्रदान की जाय। अनुबन्ध के लिए **प्रारूप–3** का प्रयोग किया जाय। **वर्ष 2012–13 में संविदा पर कार्यरत स्टाफ नर्स को मासिक मानदेय ₹ 16,500.00 प्रतिमाह अनुमन्य है।** यह मानदेय इनके तैनाती स्थल पर योगदान की तिथि से दिया जाय एवं नियुक्ति के पश्चात इनके कार्यों का मूल्यांकन नियमिति रूप से मासिक प्रारूप–2 ए पर किया जाय जिसका सुचारू रूप से रख–रखाव मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर किया जाय।

4. L-3 *प्रसव इकाईयों पर संविदा पर स्टाफ नर्स की तैनाती –*

एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2012–13 के लिए प्रत्येक सक्रिय प्रथम सन्दर्भन इकाई प्रसव इकाईयों (L-3 जिला महिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय की महिला विंग अथवा सी0एच0सी0) के लिए आवश्यकतानुसार चौबीस घंटे स्टाफ नर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ नर्सों की संविदा पर तैनाती का प्राविधान रखा गया है। माह नवम्बर 2011 तक एम–10 फारमेट पर संकलित रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के 28 जिला महिला चिकित्सालयों, जहाँ सिजेरियन प्रसव का अधिक कार्यभार है, वहाँ पूर्व से उपलब्ध नियमित स्टाफ नर्सों को सम्मिलित करते हुए कुल 06 स्टाफ नर्सों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु आवश्यक पदों की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। ऐसे जिला महिला चिकित्सालयों, जहाँ सिजेरियन प्रसव का कार्यभार कम है, वहाँ पूर्व से उपलब्ध नियमित स्टाफ नर्सों को सम्मिलित करते हुए कुल 05 स्टाफ नर्सों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु आवश्यक पदों की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त नवीन स्थापित जिला संयुक्त चिकित्सालयों पर भी कार्यभार के अनुसार स्टाफ नर्स की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु आवश्यक पदों की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

इस प्रकार चयनित सक्रिय प्रथम सन्दर्भन इकाई प्रसव इकाईयों (L-3 जिला महिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय की महिला विंग अथवा सी0एच0सी0) के लिए 153 पदों की स्वीकृति प्रदान की जा रही है जिनके तैनाती स्थल एवं प्रत्येक स्थल के सापेक्ष स्वीकृत पदों की संख्या एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध करा दिये गये हैं। जनपदवार संकलित स्वीकृत पदों की संख्या संलग्न तालिका पर प्रस्तुत है। किसी भी स्थिति में इस सूची में स्वीकृत पदों से अधिक पदों पर अथवा स्वीकृत तैनाती स्थलों के बाहर भर्ती नहीं की जाय।

कर्तव्य एवं दायित्व – L-3 प्रसव इकाईयों (जिला महिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय की महिला विंग अथवा सी0एच0सी0) पर संविदा पर तैनात स्टाफ नर्स से किसी भी पाली में कार्य लिया जा सकता है। सम्बन्धित चिकित्सालयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक अपने विवेकानुसार, प्रसव के कार्य से सम्बन्धित समस्त नियमित एवं संविदा कर्मियों इत्यादि का पूल बनाकर रोटेशन में

Nw

ड्यूटी लगायें। नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे सुनिश्चित करें कि इन इकाईयों पर चौबीसों घंटे प्रसव एवं ओ0टी0 का कार्य निर्बाध रूप से चलता रहे। L-3 प्रसव इकाईयों पर संविदा स्टाफ नर्स का मुख्य कार्य प्रसव कराना, जटिल प्रसव अथवा सिजेरियन प्रसव होने पर चिकित्सकों को सहयोग देना, प्रसव कक्ष एवं ओ0टी0 का रख–रखाव, नसबन्दी व सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में सहयोग देना, नवजात व जच्चा की पूर्ण देखभाल, टीकाकरण, वॉर्ड में भर्ती मरीजों की पूरी देखभाल तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा आवंटित अन्य कार्य हैं।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि पूर्व से कार्यरत सभी संविदा स्टाफ नर्स के वर्ष 2011–12 में किये गये कार्यों का **मूल्यांकन प्रारूप–2 बी** पर कर लिया जाय एवं मूल्यांकन के पश्चात् प्रसव सेवाओं में कुशल एवं पूर्व से कार्यरत स्टाफ नर्स को ही संविदा स्टाफ नर्स के रूप में L-2 प्रसव इकाईयों पर तैनाती हेतु वरीयता प्रदान की जाय। अनुबन्ध के लिए **प्रारूप–3** का प्रयोग किया जाय। **वर्ष 2012–13 में संविदा पर कार्यरत स्टाफ नर्स को मासिक मानदेय ₹ 16,500.00 प्रतिमाह अनुमन्य है।** यह मानदेय इनके तैनाती स्थल पर योगदान की तिथि से दिया जाय एवं नियुक्ति के पश्चात इनके कार्यों का मूल्यांकन नियमिति रूप से मासिक प्रारूप–2 ए पर किया जाय जिसका सुचारू रूप से रख–रखाव मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर किया जाय।

5. L-2 *प्रसव इकाईयों पर संविदा पर एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी की तैनाती –*

एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2012–13 में प्रत्येक 24x7 प्रसव इकाईयों (L-2 सी0एच0सी0 अथवा पी0एच0सी0) के लिए इस प्रकार की व्यवस्था रखी गई है कि माह नवम्बर 2011 तक एम–9 फारमेट पर संकलित रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के जिन L-2 डिलीवरी प्वाइंट पर औसतन 100 प्रसव प्रतिमाह से अधिक संख्या में प्रसव रिपोर्ट हुए हैं परन्तु महिला चिकित्सक तैनात नहीं हैं वहाँ प्राथमिकता पर कम से कम 01 एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

इस प्रकार चयनित 401 चौबीस घंटे प्रसव सेवाओं वाली इकाईयों सी0एच0सी0 अथवा पी0एच0सी0,जहाँ नियमित एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सक तैनात नहीं हैं, के लिए 1–1 संविदा पद की स्वीकृति प्रदान की जा रही है जिनके तैनाती स्थल एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध करा दिये गये हैं। जनपदवार संकलित स्वीकृत पदों की संख्या संलग्न तालिका पर प्रस्तुत है। किसी भी स्थिति में इस सूची में स्वीकृत पदों से अधिक पदों पर नई भर्ती नहीं की जाय। मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी ऐसी L-2 प्रसव इकाई बिना महिला चिकित्सक (संविदा अथवा नियमित) के न रहे जहाँ प्रतिमाह औसतन 100 प्रसव से अधिक प्रसव होते हों।

कार्य एवं दायित्व– अतिक्रियाशील L-2 प्रसव इकाईयों (सी0एच0सी0 अथवा पी0एच0सी0) के लिए एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सक की व्यवस्था रखी गई है जिससे वे जननी सुरक्षा योजना के

8.........................

अन्तर्गत प्रसव सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। चिकित्सालय में जटिल प्रसवों को उपचार, ~~स्टाफ नर्सों के प्रसव कार्यों की समीक्षा,~~ एस0बी0ए0 मानकों पर प्रसव–कक्ष का पर्यवेक्षण, आउटडोर / ए0एन0सी0 क्लीनिक का संचालन, भर्ती मरीजों की देखभाल, सुरक्षित गर्भपात एवं परिवार कल्याण सेवाए प्रदान करना इनका दायित्व होगा। इन एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सकों को कुशलता वृद्धि के लिए प्रशिक्षण के लिए नामित भी किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि पूर्व से कार्यरत सभी संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सक के वर्ष 2011–12 में किये गये कार्यों का **मूल्यांकन प्रारूप–2 सी** पर मूल्यांकन के पश्चात् प्रसव सेवाओं में कुशल एवं पूर्व से कार्यरत एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सक को ही संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सक के रूप में चिन्हित L-2 प्रसव इकाईयों पर तैनाती हेतु वरीयता प्रदान की जाय। अनुबन्ध के लिए **प्रारूप–3** का प्रयोग किया जाय। **वर्ष 2012–13 में संविदा पर कार्यरत एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सक को मासिक मानदेय ₹ 36,000.00 प्रतिमाह अनुमन्य है।** यह मानदेय इनके तैनाती स्थल पर योगदान की तिथि से दिया जाय एवं नियुक्ति के पश्चात इनके कार्यों का मूल्यांकन नियमिति रूप से मासिक **प्रारूप–2 सी** पर किया जाय जिसका सुचारू रूप से रख–रखाव मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर किया जाय।

6. L-3 *प्रसव इकाईयों पर संविदा पर एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी की तैनाती –*

एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2012–13 के लिए प्रत्येक सक्रिय प्रथम सन्दर्भन इकाई प्रसव इकाईयों (L-3 जिला महिला चिकित्सालय / संयुक्त चिकित्सालय की महिला विंग अथवा सी0एच0सी0) के लिए एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सक की व्यवस्था रखी गई है। माह नवम्बर 2011 तक एम–10 फारमेट पर संकलित रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के 28 जिला महिला चिकित्सालयों, जहाँ औसतन 200 प्रसव प्रतिमाह से अधिक संख्या में प्रसव हो रहे हैं एवं सिजेरियन प्रसव का अधिक कार्यभार है, वहाँ प्राथमिकता पर कम से कम 02 एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। इसी प्रकार L-3 सी0एच0सी0 जहाँ अतिरिक्त कार्यभार है वहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ को सहयोग प्रदान करने हेतु कम से कम 01 एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

इस प्रकार प्रदेश की सक्रिय प्रथम सन्दर्भन इकाई प्रसव इकाईयों (L-3 जिला महिला चिकित्सालय / संयुक्त चिकित्सालय की महिला विंग अथवा सी0एच0सी0) के लिए 153 एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सक पद की स्वीकृति प्रदान की जा रही है जिनके तैनाती स्थल एवं उनके सापेक्ष स्वीकृत पदों की संख्या एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध करा दिये गये हैं। जनपदवार संकलित स्वीकृत पदों की संख्या संलग्न तालिंका पर प्रस्तुत है। किसी भी स्थिति में इस सूची में स्वीकृत पदों से अधिक पदों पर अथवा स्वीकृत स्थलों के बाहर भर्ती नहीं की जाय।

9........................

कार्य एवं दायित्व– प्रत्येक सक्रिय प्रथम सन्दर्भन इकाई प्रसव इकाईयों (L-3 जिला महिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय की महिला विंग अथवा सी0एच0सी0) के लिए एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सक की व्यवस्था रखी गई है जिससे वे चिकित्सालय प्रभारियों एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों को सभी कार्यों में सहयोग प्रदान करें जिससे आउटडोर, ए0एन0सी0 क्लीनिक, प्रसव सेवाएं, भर्ती मरीजों की देखभाल, सुरक्षित गर्भपात एवं परिवार कल्याण सेवाए संचारू से चल सकें। इन एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सकों को कुशलता वृद्धि के लिए प्रशिक्षण के लिए नामित भी किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि पूर्व से कार्यरत सभी संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सक के वर्ष 2011–12 में किये गये कार्यों का **मूल्यांकन प्रारूप–2 सी** पर कर लिया जाय एवं मूल्यांकन के पश्चात् प्रसव सेवाओं में पूर्व से कार्यरत कुशल एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सक को ही संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सक के रूप में L-3 प्रसव इकाईयों पर तैनाती हेतु वरीयता प्रदान की जाय। अनुबन्ध के लिए **प्रारूप–3** का प्रयोग किया जाय। वर्ष 2012–13 में संविदा पर कार्यरत एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सक को मासिक मानदेय ₹ 36,000.00 प्रतिमाह अनुमन्य है। यह मानदेय इनके **तैनाती स्थल पर योगदान की तिथि से** दिया जाय एवं नियुक्ति के पश्चात इनके कार्यों का मूल्यांकन नियमिति रूप से मासिक **प्रारूप–2 सी** पर किया जाय जिसका सुचारू रूप से रख–रखाव मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर किया जाय।

7. L-3 *प्रसव इकाईयों पर संविदा पर विशेषज्ञों की संविदा पर तैनाती*

जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर 2610 डिलीवरी प्वाइंट की सूची एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध करा दी गयी है। इस सूची के अनुसार प्रदेश के मात्र 132 (मेडिकल कालेजों को छोड़कर) जिला महिला चिकित्सालय /संयुक्त चिकित्सालय/सी0एच0सी0 पर सिजेरियन प्रसव हो रहे हैं जिन्हें **L-3** स्तर का दर्जा दिया गया है। यह संख्या वर्ष 2010–11 से भी कम है। कई जनपद ऐसे हैं जहाँ एक भी **L-3** स्तर की इकाई कियाशील नहीं है। गत वर्ष प्रत्येक जनपद में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संविदा पर तैनाती के बाद भी जनपदों में **L-3** स्तर की इकाइयों की संख्या नहीं बढ़ी है।

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार वर्ष 2012–13 में एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत **L-3** स्तर की महिला/संयुक्त चिकित्सालय/सी0एच0सी0 एफ0आर0यू0 के महिला अनुभाग में सामान्य प्रसव तथा सिजेरियन आपरेशन के वास्तविक कार्यभार के आधार पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की संविदा पर तैनाती का प्राविधान किया गया है। प्रदेश की 28 **L-3** स्तर की ऐसी महिला/संयुक्त चिकित्सालय/सी0एच0सी0 एफ0आर0यू0 जहां 200 प्रसव प्रतिमाह से अधिक रिपोर्ट हुये हैं, परिवार कल्याण शिविर, पोस्टपार्टम केन्द्र संचालित हैं वहाँ प्राथमिकता पर 04 स्त्री रोग विशेषज्ञ/02 एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सक/01 बाल रोग विशेषज्ञ/01 निश्चेतक की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु उपलब्ध चिकित्सकों को संज्ञान में लेते हुए पद स्वीकृत किये गए हैं। 23 जिला महिला चिकित्सालय जहाँ सामान्य प्रसव का कार्यभार अत्यधिक होने के बाद भी सिजेरियन प्रसव 50

प्रतिमाह से कम रिपोर्ट हुए हैं, वहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। ऐसी सी0एच0सी0 एफ0आर0यू0 जहाँ एक भी स्त्री रोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं वहाँ संविदा पर एक पद स्वीकृत किया गया है।

प्रत्येक जनपद में कम से कम एक जिला स्तरीय **L-3** स्तर की एफ0आर0यू0 क्रियाशील किया जाना अतिआवश्यक है। प्रत्येक जनपद में वर्ष 2012–13 में उपलब्ध विशेषज्ञों एवं **LSAS & EMOC** प्रशिक्षण प्राप्त एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों के माध्यम से कम से कम 01 अतिरिक्त **L-3** स्तर की एफ0आर0यू0 क्रियाशील किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

सभी संविदा विशेषज्ञों की तैनाती हेतु तैनाती स्थल (डिलीवरी प्वाइंट्स) एवं उनके सापेक्ष स्वीकृत पदों की संख्या एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध करा दी गयी है। जनपदवार संकलित स्वीकृत पदों की संख्या संलग्न तालिका पर प्रस्तुत है।

कार्य एवं दायित्व– प्रत्येक सक्रिय प्रथम सन्दर्भन इकाई प्रसव इकाईयों (L-3 जिला महिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय की महिला विंग अथवा सी0एच0सी0) के लिए प्राविधानित स्त्री रोग विशेषज्ञ का दायित्व आउटडोर, ए0एन0सी0 क्लीनिक, सामान्य एवं जटिल प्रसवों का उपचार, सिजेरियन प्रसव, प्रसव कक्ष/शल्य कक्ष की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण, भर्ती मरीजों की देखभाल, सुरक्षित गर्भपात एवं प्रसव पश्चात परिवार कल्याण सेवाओं के साथ चिकित्सालय प्रभारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य सम्पादित करना है। संविदा पर कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ यदि माह में कोई भी सिजेरियन प्रसव नहीं करती हैं तो उनकी संविदा समाप्त करने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति को संस्तुति प्रेषित कर दी जाय। इसी प्रकार संविदा पर कार्यरत बाल रोग विशेषज्ञ यदि कोई नवजात या शिशु की भर्ती नहीं करता है एवं संविदा पर कार्यरत निश्चेतक एक भी सिजेरियन प्रसव को एनेस्थीसिया नहीं प्रदान करता है तो उनकी संविदा समाप्त करने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति को संस्तुति प्रेषित कर दी जाय। चिकित्सालय में जटिल प्रसव व सिजेरियन प्रसव में संविदा पर कार्यरत विशेषज्ञों की सेवाएं लेने का दायित्व चिकित्सालय प्रभारी का भी होगा। **जनपद में स्त्री रोग विशेषज्ञ संविदा पर उपलब्ध न होने की स्थिति में शल्य चिकित्सक (एम0एस0 जनरल सर्जरी) को संविदा पर नियुक्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में शल्य चिकित्सक को बी0एम0ओ0सी0 प्रशिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार नामित किया जा सकता है।**

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि पूर्व से कार्यरत स्त्री रोग/बाल रोग/निश्चेतक संविदा विशेषज्ञों के वर्ष 2011–12 में किये गये कार्यों का **मूल्यांकन प्रारूप–2 डी** पर कर लिया जाय एवं मूल्यांकन के पश्चात् जटिल एवं सिजेरियन प्रसव सेवाओं में कुशल विशेषज्ञों को ही संविदा पर L-3 प्रसव इकाईयों पर तैनाती हेतु वरीयता प्रदान की जाय। अनुबन्ध के लिए **प्रारूप–3** का प्रयोग किया जाय। वर्ष 2012–13 में संविदा पर कार्यरत डी0जी0ओ0/एम0एस0/एम0डी0 को मासिक मानदेय ₹ 48,000.00 प्रतिमाह अनुमन्य है। यह मानदेय इनके **तैनाती स्थल पर योगदान की तिथि से** दिया जाय एवं नियुक्ति के पश्चात इनके कार्यों का मूल्यांकन नियमिति रूप से मासिक **प्रारूप–2 डी** पर किया जाय जिसका सुचारू रूप से रख–रखाव मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर किया जाय।

11.......................

8. ग्रामीण L-3 प्रसव इकाईयों पर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की ऑन कॉल व्यवस्था –

जनपद के **ग्रामीण सी0एच0सी0 प्रथम संदर्भन इकाई** स्तर पर ऑन कॉल स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की व्यवस्था का प्राविधान भी रखा गया है, जिसमें चिकित्सालय स्तर पर सीजेरियन की आवश्यकता पड़ने पर प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ/निश्चेतक/बाल रोग विशेषज्ञ को ऑन कॉल के आधार पर बुलाया जा सकता है। प्रत्येक जनपद को पूरे वर्ष के लिए 300 कॉल अनुमन्य हैं **जिनका उपयोग सिजेरियन प्रसव के लिए ही किया जाना है।**

- ध्यान रहे कि यह व्यवस्था नियमित रूप से कार्यरत विभागीय चिकित्सकों के लिए नहीं लागू होगी।
- इस कार्य के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रचार–प्रसार के माध्यम से अपने जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कॉल पर कार्य करने के इच्छुक विशेषज्ञों से सहमति पत्र प्राप्त किया जाय, तद्पश्चात उनकी सूची को जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा इम्पैनल करवा लिया जाय। यह सूची जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराने के पश्चात सभी सम्बन्धित इकाईयों पर डिस्प्ले करा दिया जाय। जिससे आवश्यकतानुसार इन विशेषज्ञों को ऑन कॉल के आधार पर बुलाया जाये तथा इनकी सेवायें प्राप्त करने के पश्चात् प्रति कॉल की दर से भुगतान किया जाये। **जनपद में स्त्री रोग विशेषज्ञ संविदा पर उपलब्ध न होने की स्थिति में शल्य चिकित्सक (एम0एस0 जनरल सर्जरी) को संविदा पर नियुक्त किया जा सकता है।**
- ऐसी **ग्रामीण सी0एच0सी0 प्रथम संदर्भन इकाई** जहाँ नियमित/संविदा पर तैनात विशेषज्ञ अवकाश पर हैं वहाँ एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों द्वारा अधीक्षक से स्त्री रोग विशेषज्ञ/निश्चेतक/बाल रोग विशेषज्ञ को ऑन–कॉल पर बुलाने का अनुरोध किया जा सकता है।
- ऐसी **ग्रामीण सी0एच0सी0 प्रथम संदर्भन इकाई** जो वर्तमान में L-3 प्रसव इकाई के रूप में सक्रिय नहीं है परन्तु वहाँ सामान्य प्रसव काफी संख्या में होते हैं वहाँ ओ0टी0 अदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर ऑन–कॉल विशेषज्ञों के माध्यम से सिजेरियन प्रसव आरम्भ करवाए जा सकते हैं परन्तु यह वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ही किया जाय।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 में ग्रामीण क्षेत्रों में ऑन कॉल विशेषज्ञों के लिए ₹ 2,000.00 प्रति कॉल स्वीकृत किया गया है। जनपद स्तर पर कॉल्स का **प्रारूप–2 ई** पर औचित्यपूर्ण अनुश्रवण कर भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति से स्वीकृति के पश्चात प्रत्येक माह किया जायगा।

वित्त पोषण –

संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार प्रदेश के **L-1, L-2** एवं **L-3** स्तर की प्रसव इकाइयों (डिलीवरी प्वाइंट) पर तैनात किये जाने वाले संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सकों का मानदेय आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के मद संख्या–ए 8.1.5 से तथा ए0एन0एम0 एवं स्टाफ नर्सों का मानदेय आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के मद संख्या–ए 8.1.1 से किया जायगा। सभी संविदा कर्मियों का मानदेय इनके **तैनाती स्थल पर योगदान की तिथि से** दिया जायगा। संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल खाते में धनराशि अवमुक्त की जा रही है। जनपद प्रबुद्धनगर की

12.......................

धनराशि जनपद मुज़फ्फरनगर की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में, जनपद पंचशील नगर के लिए धनराशि जनपद गाजियाबाद की जिला स्वास्थ्य समिति में तथा जनपद भीमनगर के लिए धनराशि विकास खण्डों के अनुसार उनके मातृ–जनपदों बदायूं व मुरादाबाद की जिला स्वास्थ्य समिति के खातों में अवमुक्त की जा रही है। इन नवीन जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे आगामी तीन माह में जिला स्वास्थ्य समिति के खाते खोल कर व्यवस्था सुदृढ़ कर लें।

- किसी भी संविदा कर्मी को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायगा।
- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाय।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी **माह जून 2012 के अन्त तक** अवश्य ही उपर्युक्तानुसार सभी संविदा कर्मियों की नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कर प्रारूप–1 पर एस0पी0एम0यू0 को सूचना प्रेषित कर दें।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य चिकित्सालय प्रभारी अपने अधीन कार्यरत संविदा कर्मियों के कार्यों का प्रत्येक माह प्रारूप–2 पर मूल्यांकन करेंगे एवं समस्त अभिलेखों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर संकलित किया जायगा।
- उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में यदि किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

14/06/12

(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या :एन.आर.एच.एम./एस.पी.एम.यू/मातृ.स्वा./सं.क./105/527-9 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त डिवीजनल प्रोग्राम मैनेजर्स, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
8. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

14/06/2012

(डा0 नीरा जैन)
महाप्रबन्धक,
मातृ स्वा0 एवं प0क0

प्रारूप—1

प्रसव इकाईयों पर संविदा पर तैनात/अनुबंधित प्रथम ए0एन0एम0/अतिरिक्त ए0एन0एम0/स्टाफ नर्स/एम.बी.बी.एस. महिला चिकित्सक/स्पेशलिस्ट चिकित्सक का विवरण वर्ष 2012—13

जनपद का नाम : ....

क्रम सं0	पदनाम प्रथम ए0एन0एम0/अतिरिक्त ए0एन0एम0/स्टाफ नर्स/एम.बी.बी.एस. महिला चिकित्सक/स्पेशलिस्ट चिकित्सक	संविदा कर्मी का नाम एवं पता	पिता/पति का नाम	संविदा कर्मी का मोबाइल नम्बर	तैनाती का स्थान	इकाई का स्तर एल0—1/एल0—2/एल0—3	योगदान की तिथि

नोटः— उपर्युक्त प्रपत्र पर जनपद स्तर की प्रसव इकाइयों पर संविदा पर नियुक्त किए गए सभी कर्मियों की सूचना माह जून 2012 के अन्त तक एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के मातृ—स्वास्थ्य अनुभाग को प्रेषित की जायेगी।

हस्ताक्षर
मुख्य चिकित्सा अधिकारी

प्रारूप–2 ए

PERFORMANCE APPRAISAL FORM (ANM)

QUANTITATIVE ASSESSMENT

REVIEW PERIOD: ....

NAME: ....

DATE OF JOINING: ....

LOCATION: ....

DATE OF COMPLETION OF CONTRACT:..

ABSENT DAYS DURING REVIEW PERIOD:

Sl. No.	Activities	Poor	Satisfactory	good
1	No. of pregnant women immunized with 2 TT shots and ensured with 3 ANC checkup and 2 Postnatal visits			
2.	No. of children with Complete immunization up to one year			
3	No. of deliveries conducted at sub centre			
4	No. of VHNDs conducted			
5	No. of IUCD Inserted			
6	No. of Female/Male Sterilization cases motivated			
7	No. of sub centre clinics conducted			
8	No. of cases of malnutrition among infants and young children (up to five years) identified and necessary advice and treatment given or referred serious cases to the Primary Health Centre.			
9	Complete MCH Register/MCTS			
10	Complete Eligible Couple Register			
11	Complete Clinic Register			
12	Complete Stock Book			
	Total assessment points			

Assessment	Points
Poor	0
Satisfactory	1
Good	2

हस्ताक्षर

प्रभारी चिकित्सा इकाई

प्रारूप–2 बी

PERFORMANCE APPRAISAL FORM (SN)

QUANTITATIVE ASSESSMENT

REVIEW PERIOD: ....

NAME: ....

DATE OF JOINING : ....

LOCATION: ....

DATE OF COMPLETION OF CONTRACT:..

ABSENT DAYS DURING REVIEW PERIOD:..

Sl. No.	Activities	Poor	Satisfactory	good
1	No. of total deliveries conducted			
2	No. of night deliveries conducted			
3	Assistance in Caesarean Section Operation (if applicable)			
4	No. of Episiotomies given			
5	SBA Training received			
6	Assistance in Sterilisation Operation			
7	Assistance to Safe abortion services.			
8	Care of sick newborn admitted			
9	Immunisation (if applicable)			
	Total assessment points			

Assessment	Points
Poor	0
Satisfactory	1
Good	2

हस्ताक्षर

प्रभारी चिकित्सा इकाई

प्रारूप–2 सी

PERFORMANCE APPRAISAL FORM (LMO)

QUANTITATIVE ASSESSMENT

REVIEW PERIOD: ....
NAME: ....
DATE OF JOINING : ....
LOCATION: ....
DATE OF COMPLETION OF CONTRACT:...
ABSENT DAYS DURING REVIEW PERIOD...

Sl. No.	Activities	Poor	Satisfactory	good
1	No. of OPD cases attended			
2	No. of ANC/PNC cases handled at the facility			
3	No. of Emergency cases attended against the total no. of cases			
4	No. of labour cases handled at the facility			
5	No of IUDs inserted family planning			
6	No. of infant/neonatal cases attended			
7	No. of Sub-Centre Clinics visited			
8	No. of block meetings/staff meetings attended.			
9	No. of Village Health & Nutrition Days attended			
	Total assessment points			

Assessment	Points
Poor	0
Satisfactory	1
Good	2

हस्ताक्षर
प्रभारी चिकित्सा इकाई

6/8 [illegible]

प्रारूप–2 डी

PERFORMANCE APPRAISAL FORM (Specialists)

QUANTITATIVE ASSESSMENT

REVIEW PERIOD: ....
NAME: ....
DATE OF JOINING : ....
LOCATION: ....
DATE OF COMPLETION OF CONTRACT:...
ABSENT DAYS DURING REVIEW PERIOD...

Gynaecologist		
Sl. No.	**Activities**	**No. Achieved**
1.	No of OPD Patients seen	
2.	No of Normal Deliveries conducted	
3.	No of Complicated Deliveries conducted	
4.	No of Caesarean Section Operations performed	
5.	No of MTP/Safe Abortions done	
6.	No. of Sterilization Operations	
7.	No. of IUD Inserted	
Paediatrician		
Sl. No.	**Activities**	**No. Achieved**
1.	No of Children attended in OPD	
2.	No of Children admitted in indoor	
3.	No of newborns resuscitated in labour room/OT	
4.	No. of sick newborns treated	
Anaesthetists		
Sl. No.	**Activities**	**No. Achieved**
1.	No. of General Anesthesia given to LSCS cases	
2.	No. of Spinal Anesthesia given to LSCS cases	
3.	No. of Local/Short term Anesthesia given	
4.	No of Serious patients resuscitated	

Performance Grade- Poor/ Satisfactory/ Good
Recommendation for renewal............................Yes/No

हस्ताक्षर
प्रभारी चिकित्सा इकाई

प्रारूप–2 ई

APPRAISAL OF SPECIALIST CALLS AT CHC FRUs

QUANLITATIVE ASSESSMENT

Assessment period: ....

Sl. No.	Type of specialist Gynae/Paed/Anaesth	Name of specialist	date of call	site of call	PERFORMANCE– LSCS/ANAESTHESIA/CARE OF SICK NEWBORN DURING LSCS	Remarks for Justification of payment from Unit I/C
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

हस्ताक्षर
प्रभारी चिकित्सा इकाई

प्रारूप–3

अनुबन्ध पत्र

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद................................ एवं (नाम)..निवासी..पता............. .... जिसकी तैनाती .... के पद पर संविदा के आधार पर की जानी है, के मध्य अनुबन्ध।

यह अनुबन्ध ''प्रथम पक्ष'' के रूप में **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद...............................**, एवं ''द्वितीय पक्ष'' के रूप में (नाम).. निवासी...पता.. .... जिसकी तैनाती .... के पद पर संविदा के आधार पर की जानी है,, के मध्य किया गया है, जहाँ **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद.......................................** (नाम)...निवासी........................ ....पता.. को .... के पद पर नियमित नहीं वरन् संविदा पर नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान करते हैं और (नाम)..निवासी.. .... **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद..............................** ,द्वारा निर्दिष्ट किए गये उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने हेतु निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन सहमति प्रदान करते/करती हैं–

1. यह नियुक्ति पूर्णतया परियोजना के उद्देश्य के अधीन संविदा पर है।
2. यह परियोजना भारत सरकार के द्वारा नियत अवधि तक के लिए वित्त पोषित है।
3. यह कि द्वितीय पक्ष की नियुक्ति ....से ....की अवधि तक के लिए की गयी है।
4. यह कि द्वितीय पक्ष को निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त किसी प्रकार का डी0ए0, एच0आर0ए0 आदि अनुमन्य नहीं होगा ।
5. यह कि द्वितीय पक्ष भली–भांति जानता/जानती है कि यह नियुक्ति उपर्युक्तानुसार अनुबन्ध आधारित संविदा पर निर्धारित अवधि के लिए की गयी है। यह अनुबन्ध प्रस्तर–3 में वर्णित अवधि के उपरान्त स्वतः समाप्त समझा जायगा और इसके लिए राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किसी प्रकार की सूचना, भुगतान अथवा सेवा छंटनी प्रतिपूर्ति धनराशि आदि देय नहीं होगी।
6. यह कि निम्नलिखित परिस्थितियों में द्वितीय पक्ष की सेवाएं अनुबन्ध अवधि की समाप्ति के पूर्व भी किसी भी समय तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती हैं–
   6.1. उपर्युक्त नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किया जाना।
   6.2. भारत सरकार द्वारा राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी को वित्त पोषण बन्द होना।
   6.3. भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन।

o/c

6.4. द्वितीय पक्ष का समय की पाबन्दी न रखना, कार्य कुशलता की कमी, अनुशासनहीनता/किसी भ्रष्ट आचरण/अपराध में लिप्त पाया जाना।

7. यह कि द्वितीय पक्ष जानता है कि यह नियुक्ति उपर्युक्तानुसार अनुबन्ध आधारित संविदा पर निर्धारित अवधि के लिए की गयी है अतः उस पद पर स्थायीकरण का कोई विधिक अधिकार नहीं होगा। भविष्य में यदि उसके द्वारा धारित पद की रिक्तियां विज्ञापित होती हैं तो वह उस पद पर राजकीय सेवा में नियमित नियुक्ति का किसी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं करेगा/करेगी। यदि द्वितीय पक्ष निर्धारित अवधि के पूर्व पद छोड़ना चाहेगा तो वह एक माह की नोटिस अथवा मानदेय देकर पद छोड़ सकता/सकती है। अनुबन्ध की निर्धारित अवधि से पूर्व किसी भी स्थिति में यदि सेवाएं समाप्त होती हैं तो अनुबन्ध की शेष अवधि के लिए उसे कोई मानदेय/प्रतिपूर्ति धनराशि देय नहीं होगी।

8. यह कि द्वितीय पक्ष सोसाइटी द्वारा संचालित की जा रही परियोजना सम्बन्धी गोपनीय सूचनाओं अथवा कार्यक्रमों के विषय में किसी भी व्यक्ति को कोई सूचना अथवा जानकारी नहीं देगा/देगी।

9. यह कि द्वितीय पक्ष की नियुक्ति उसके द्वारा दिए गए अभिलेखों जैसे– शैक्षिक योग्यता आदि व अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर की गयी है जो उसने अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए हैं। यदि उसके द्वारा दी गयी कोई सूचना असत्य पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में उसकी नियुक्ति समाप्त समझी जायगी और वह किसी सूचना, मानदेय अथवा नोटिस का हकदार नहीं होगा/होगी।

10. यह कि द्वितीय पक्ष राज्य स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा समय–समय पर जारी किए गए नियमों/दिशा–निर्देशों अथवा कार्यालय आदेशों के अधीन कार्य करेगा/करेगी जो कि उसकी नियुक्ति एवं अनुबन्ध सम्बन्धी नियम व शर्तों का भाग होगा।

11. यह कि द्वितीय पक्ष की राज्य स्वास्थ्य सोसायटी के अधीन सेवाओं की निरन्तरता उसके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करेगी।

12. यह कि द्वितीय पक्ष की दैनिक कार्यावधि सामान्यतः प्रत्येक माह के सभी कार्यदिवसों के लिए प्रातः 9:30 से सायं 6:00 तक होगा। यह कार्यावधि राज्य स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधित की जा सकेगी।

13. यह कि द्वितीय पक्ष साप्ताहिक अवकाशों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित जनावकाशों का उपभोग कर सकेगा/सकेगी। उसे एक वर्ष की अनुबन्ध अवधि में 08 आकस्मिक अवकाश एवं 07 चिकित्सा अवकाश अनुमन्य होंगे। उसे अनुबन्ध अवधि में अन्य किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। उसे उपर्युक्त अवकाश अनुबन्ध अवधि के अनुपात में अनुमन्य किए जाएंगे।

14. यह कि द्वितीय पक्ष **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जनपद........ ....**, के निर्देशों के अनुरूप संतोषजनक कार्य करेगा/करेगी।

15. यह कि द्वितीय पक्ष ....(नाम)..निवासी.. ....पता...को तनख्वाह के रूप में रू0.............................. प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जायगा तथा निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त किसी प्रकार का डी0ए0, एच0आर0ए0 आदि अनुमन्य नहीं होगा ।

16. यह कि द्वितीय पक्ष राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी के विरूद्ध किसी प्रकार का अभियोजन योजित नहीं करेगा/करेगी।
17. यह कि द्वितीय पक्ष वर्तमान पद पर नियुक्ति समाप्त होने के पश्चात भी राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी को विधिक एवं ऑडिट सम्बन्धी मामलों में आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करता रहेगा/रहेगी।
18. यह कि सेवा अवधि के दौरान राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों एवं अग्रिमों को वापस करना द्वितीय पक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
19. यह कि द्वितीय पक्ष अनुबन्ध अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के चुनाव में प्रतिभाग करने का अधिकारी नहीं होगा/होगी।

उपर्युक्त नियम व शर्तें स्वीकार्य होने की स्थिति में कृपया संलग्न कार्यालय प्रति पर स्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर कर दें एवं हस्ताक्षरित प्रति को कार्यालय के उपयोगार्थ जमा कर दें।

दोनों पक्षों को इस अनुबन्ध पत्र की उपरोक्त शर्ते स्वीकार हैं तथा पूर्ण विवेक से सोच–समझकर हस्ताक्षरित किया गया ।

हस्ताक्षर..................................

द्वितीय पक्ष **अनुबन्धित कार्मिक**
नाम...
पता...
....
मो0नं0....................................

हस्ताक्षर......................................

प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति
जनपद..

दो गवाहों के नाम, हस्ताक्षर एवं पता

1...
नाम...
पता...
....
मो0नं0....................................

2...
नाम...
पता...
....
मो0नं0....................................

सेवा में,
वित्त प्रकोष्ठ
राज्य स्वास्थ्य समिति.

BUDGET SUMMARY OF HUMAN RESOURCE 2012-13 (AT DELIVERY POINTS)

Dist no	Division	District	No of Contractual 1st ANMs at vacant subcenters	No of additional ANMs at Active L1 delivery points	Total Contractual ANM	Budget for ANMs(@Rs10000/per month)x6 Months in Lakh Rs.	No of Contractual staff nurses at L2 centers	No of Contractual staff nurses at L3centers	Total No. of Contractual staff nurses at L2 & L3 centers	Budget for staff nurses at L3 centers (@Rs 16500/per month)x6 Months in Lakh Rs.	No of Contractual LMOs at L2centers	No of Contractual LMOs at L3centers	Total No. of Contractual LMOs at L2 & L3 centers	Budget for LMOs at L3 centers (@Rs 36000/ per month)x6 Months	No of Contractual Gyanaecologists at L3 centers	No of Contractual Paediatricians at L3 centers	No of Contractual Anaesthetists at L3 centers	Total No. of Contractual specialists at L3 centers	Budget for specialists at L3 centers (@Rs 48000/ per month)x6 Months	No of calls for Rural CHCs	Budget for calls @ Rs 2000.00 per call	Total Budget for HR at delivery points in Rs Lakhs
			FMR- A.8.1.1				FMR- A.8.1.1				FMR- A.8.1.5				FMR- A.8.1.3							
1	Agra	Agra	184	17	201	120.60	43	0	43	42.570	15	2	17	36.72	0	0	0	0	0	300	3.00	202.89
2	Agra	Mathura	56	12	68	40.80	30	2	32	31.680	3	3	6	12.96	0	0	0	0	0	300	3.00	88.44
3	Agra	Mainpuri	12	27	39	23.40	26	1	27	26.730	2	2	4	8.64	0	1	0	1	2.88	300	3.00	64.65
4	Agra	Firozabad	41	12	53	31.80	20	6	26	25.740	4	4	8	17.28	1	0	2	3	8.64	300	3.00	86.46
5	Aligarh	Aligarh	129	5	134	80.40	21	2	23	22.770	8	1	9	19.44	1	0	2	3	8.64	300	3.00	134.25
6	Aligarh	Etah	37	7	44	26.40	16	1	17	16.830	4	2	6	12.96	1	1	0	2	5.76	300	3.00	64.95
7	Aligarh	Hathras	47	20	67	40.20	11	5	16	15.840	7	1	8	17.28	0	1	0	1	2.88	300	3.00	79.20
8	Aligarh	Kasganj	80	9	89	53.40	12	0	12	11.880	7	0	7	15.12	0	0	0	0	0	300	3.00	83.40
9	Allahabad	Allahabad	212	92	304	182.40	33	9	42	41.580	15	4	19	41.04	0	1	1	2	5.76	300	3.00	273.78
10	Allahabad	Kaushambi	23	4	27	16.20	24	2	26	25.740	9	2	11	23.76	2	1	0	3	8.64	300	3.00	77.34
11	Allahabad	Fatehpur	65	14	79	47.40	36	0	36	35.640	6	0	6	12.96	0	0	0	0	0	300	3.00	99.00
12	Allahabad	Pratapgarh	34	117	151	90.60	28	3	31	30.690	2	4	6	12.96	1	2	0	3	8.64	300	3.00	145.89
13	Azamgarh	Azamgarh	31	23	54	32.40	45	4	49	48.510	18	3	21	45.36	1	0	2	3	8.64	300	3.00	137.91
14	Azamgarh	Mau	9	56	65	39.00	32	2	34	33.660	6	1	7	15.12	1	0	0	1	2.88	300	3.00	93.66
15	Azamgarh	Ballia	48	52	100	60.00	41	2	43	42.570	6	1	7	15.12	0	0	1	1	2.88	300	3.00	123.57
16	Bareilly	Bareilly	112	6	118	70.80	30	2	32	31.680	9	1	10	21.60	1	1	2	4	11.52	300	3.00	138.60
17	Bareilly	Budaun	55	3	58	34.80	29	5	34	33.660	11	3	14	30.24	3	1	2	6	17.28	300	3.00	118.98
18	Bareilly	Pilibhit	43	14	57	34.20	6	2	8	7.920	0	3	3	6.48	0	0	1	1	2.88	300	3.00	54.48
19	Bareilly	Shajahanpur	63	10	73	43.80	37	0	37	36.630	9	0	9	19.44	1	0	0	1	2.88	300	3.00	105.75
20	Basti	Basti	22	67	89	53.40	36	0	36	35.640	5	1	6	12.96	3	1	1	5	14.4	300	3.00	119.40
21	Basti	Sidharth Nagar	31	65	96	57.60	17	0	17	16.830	3	2	5	10.80	2	0	0	2	5.76	300	3.00	93.99
22	Basti	Sant Kabir Nagar	14	75	89	53.40	20	2	22	21.780	4	1	5	10.80	1	0	0	1	2.88	300	3.00	91.86
23	Chitrakoot	Banda	114	18	132	79.20	19	0	19	18.810	8	1	9	19.44	1	0	0	1	2.88	300	3.00	123.33
24	Chitrakoot	Chitrakoot	43	9	52	31.20	21	0	21	20.790	6	0	6	12.96	0	0	0	0	0	300	3.00	67.95
25	Chitrakoot	Hamirpur	66	18	84	50.40	16	5	21	20.790	4	2	6	12.96	0	0	2	2	5.76	300	3.00	92.91

Dist no	Division	District	No of Contractual 1st ANMs at vacant subcenters	No of additional ANMs at Active L1 delivery points	Total Contractual ANM	Budget for ANMs(@Rs10000/per month)x6 Months in Lakh Rs.	No of Contractual staff nurses at L2 centers	No of Contractual staff nurses at L3centers	Total No. of Contractual staff nurses at L2 & L3 centers	Budget for staff nurses at L3 centers (@Rs 16500/per month)x6 Months in Lakh Rs.	No of Contractual LMOs at L2centers	No of Contractual LMOs at L3centers	Total No. of Contractual LMOs at L2 & L3 centers	Budget for LMOs at L3 centers (@Rs 36000/ per month)x6 Months	No of Contractual Gyanaecologists at L3 centers	No of Contractual Paediatricians at L3 centers	No of Contractual Anaesthetists at L3 centers	Total No. of Contractual specialists at L3 centers	Budget for specialists at L3 centers (@Rs 48000/ per month)x6 Months	No of calls for Rural CHCs	Budget for calls @ Rs 2000.00 per call	Total Budget for HR at delivery points in Rs Lakhs
26	Chitrakoot	Mahoba	50	14	64	38.40	0	0	0	0.000	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	300	3.00	41.40
27	Faizabad	Faizabad	34	57	91	54.60	16	12	28	27.720	6	6	12	25.92	3	0	2	5	14.4	300	3.00	125.64
28	Faizabad	Barabanki	43	94	137	82.20	15	3	18	17.820	0	1	1	2.16	0	0	1	1	2.88	300	3.00	108.06
29	Faizabad	Ambedkar Nagar	15	26	41	24.60	7	2	9	8.910	8	3	11	23.76	0	0	1	1	2.88	300	3.00	63.15
30	Faizabad	Sultanpur	25	49	74	44.40	11	2	13	12.870	9	3	12	25.92	1	0	1	2	5.76	300	3.00	91.95
31	Faizabad	CSM Nagar	40	43	83	49.80	27	2	29	28.710	1	1	2	4.32	1	0	0	1	2.88	300	3.00	88.71
32	Gonda	Gonda	41	20	61	36.60	33	0	33	32.670	7	0	7	15.12	3	0	0	3	8.64	300	3.00	96.03
33	Gonda	Balrampur	71	25	96	57.60	17	0	17	16.830	5	2	7	15.12	1	0	0	1	2.88	300	3.00	95.43
34	Gonda	Srawasti	68	28	96	57.60	12	0	12	11.880	4	0	4	8.64	0	0	0	0	0	300	3.00	81.12
35	Gonda	Bahraich	46	42	88	52.80	34	0	34	33.660	9	0	9	19.44	1	0	1	2	5.76	300	3.00	114.66
36	Gorakhpur	Gorakhpur	8	35	43	25.80	14	4	18	17.820	8	3	11	23.76	0	0	0	0	0	300	3.00	70.38
37	Gorakhpur	Deoria	47	12	59	35.40	31	0	31	30.690	15	1	16	34.56	3	0	0	3	8.64	300	3.00	112.29
38	Gorakhpur	Kushinagar	33	17	50	30.00	31	0	31	30.690	8	0	8	17.28	0	0	0	0	0	300	3.00	80.97
39	Gorakhpur	Maharajganj	89	32	121	72.60	19	3	22	21.780	8	3	11	23.76	3	0	0	3	8.64	300	3.00	129.78
40	Jhansi	Jhansi	139	23	162	97.20	0	2	2	1.980	0	0	0	0.00	0	0	1	1	2.88	300	3.00	105.06
41	Jhansi	Lalitpur	74	26	100	60.00	24	2	26	25.740	5	2	7	15.12	0	0	0	0	0	300	3.00	103.86
42	Jhansi	Jalaun	67	18	85	51.00	23	0	23	22.770	6	1	7	15.12	1	0	0	1	2.88	300	3.00	94.77
43	Kanpur	Kanpur Nagar	68	3	71	42.60	21	1	22	21.780	5	1	6	12.96	0	0	1	1	2.88	300	3.00	83.22
44	Kanpur	Etawah	12	21	33	19.80	8	0	8	7.920	3	2	5	10.80	2	0	1	3	8.64	300	3.00	50.16
45	Kanpur	Auriya	10	9	19	11.40	14	0	14	13.860	3	2	5	10.80	0	0	1	1	2.88	300	3.00	41.94
46	Kanpur	Farrukhabad	17	4	21	12.60	6	4	10	9.900	1	3	4	8.64	2	2	1	5	14.4	300	3.00	48.54
47	Kanpur	Kanpur Dehat	47	4	51	30.60	13	0	13	12.870	5	2	7	15.12	0	0	0	0	0	300	3.00	61.59
48	Kanpur	Kannuj	35	14	49	29.40	15	0	15	14.850	3	2	5	10.80	0	0	0	0	0	300	3.00	58.05
49	Lucknow	Lucknow	33	6	39	23.40	6	4	10	9.900	2	5	7	15.12	0	0	0	0	0	300	3.00	51.42
50	Lucknow	Sitapur	46	28	74	44.40	31	2	33	32.670	15	3	18	38.88	2	0	0	2	5.76	300	3.00	124.71
51	Lucknow	Hardoi	39	4	43	25.80	31	2	33	32.670	12	3	15	32.40	0	1	1	2	5.76	300	3.00	99.63
52	Lucknow	Unnao	50	12	62	37.20	31	1	32	31.680	7	1	8	17.28	0	0	0	0	0	300	3.00	89.16
53	Lucknow	Raebareli	10	16	26	15.60	9	0	9	8.910	9	4	13	28.08	1	0	0	1	2.88	300	3.00	58.47

Dist no	Division	District	No of Contractual 1st ANMs at vacant subcenters	No of additional ANMs at Active L1 delivery points	Total Contractual ANM	Budget for ANMs(@Rs10000/per month)x6 Months in Lakh Rs.	No of Contractual staff nurses at L2 centers	No of Contractual staff nurses at L3centers	Total No. of Contractual staff nurses at L2 & L3 centers	Budget for staff nurses at L3 centers (@Rs 16500/per month)x6 Months in Lakh Rs.	No of Contractual LMOs at L2centers	No of Contractual LMOs at L3centers	Total No. of Contractual LMOs at L2 & L3 centers	Budget for LMOs at L3 centers (@Rs 36000/ per month)x6 Months	No of Contractual Gyanaecologists at L3 centers	No of Contractual Paediatricians at L3 centers	No of Contractual Anaesthetists at L3 centers	Total No. of Contractual specialists at L3 centers	Budget for specialists at L3 centers (@Rs 48000/ per month)x6 Months	No of calls for Rural CHCs	Budget for calls @ Rs 2000.00 per call	Total Budget for HR at delivery points in Rs Lakhs
54	Lucknow	Kheri	74	34	108	64.80	14	4	18	17.820	0	2	2	4.32	1	0	2	3	8.64	300	3.00	98.58
55	Merrut	Merrut	74	3	77	46.20	8	5	13	12.870	0	3	3	6.48	1	0	1	2	5.76	300	3.00	74.31
56	Merrut	Ghaziabad	100	0	100	60.00	2	3	5	4.950	2	1	3	6.48	0	0	0	0	0	300	3.00	74.43
57	Merrut	Bulandshair	119	11	130	78.00	31	2	33	32.670	7	3	10	21.60	0	0	0	0	0	300	3.00	135.27
58	Merrut	Baghpat	81	4	85	51.00	8	4	12	11.880	0	2	2	4.32	0	0	1	1	2.88	300	3.00	73.08
59	Merrut	GB Nagar	43	0	43	25.80	15	0	15	14.850	1	2	3	6.48	0	0	0	0	0	300	3.00	50.13
60	Merrut	Panchsheel Nagar	0	1	1	0.60	9	0	9	8.910	1	0	1	2.16				0	0	300	3.00	14.67
61	Mirzapur	Mirzapur	45	53	98	58.80	22	0	22	21.780	6	2	8	17.28	1	0	0	1	2.88	300	3.00	103.74
62	Mirzapur	Sonebhadra	63	71	134	80.40	14	0	14	13.860	2	0	2	4.32	0	0	0	0	0	300	3.00	101.58
63	Mirzapur	SRN - Bhadohi	29	40	69	41.40	0	3	3	2.970	0	3	3	6.48	1	0	0	1	2.88	300	3.00	56.73
64	Moradabad	Moradabad	105	4	109	65.40	0	0	0	0.000	0	0	0	0.00	0	1	1	2	5.76	300	3.00	74.16
65	Moradabad	Rampur	72	15	87	52.20	12	2	14	13.860	3	2	5	10.80	2	0	1	3	8.64	300	3.00	88.50
66	Moradabad	Bijnor	70	25	95	57.00	9	1	10	9.900	0	2	2	4.32	4	0	0	4	11.52	300	3.00	85.74
67	Moradabad	JP Nagar	83	7	90	54.00	9	0	9	8.910	6	0	6	12.96	0	0	0	0	0	300	3.00	78.87
68	Moradabad	Bheem Nagar	0	0	0	0.00	0	0	0	0.000	0	0	0	0.00				0	0	300	3.00	3.00
69	Saharanpur	Saharanpur	100	18	118	70.80	25	3	28	27.720	3	4	7	15.12	0	0	0	0	0	300	3.00	116.64
70	Saharanpur	Muzaffer Nager	88	15	103	61.80	11	2	13	12.870	2	3	5	10.80	1	0	1	2	5.76	300	3.00	94.23
71	Saharanpur	Prabudh Nagar	0	2	2	1.20	11	5	16	15.840	4	1	5	10.80				0	0	300	3.00	30.84
72	Varanasi	Chandauli	22	49	71	42.60	16	8	24	23.760	3	2	5	10.80	2	0	1	3	8.64	300	3.00	88.80
73	Varanasi	Jaunpur	84	31	115	69.00	30	6	36	35.640	12	5	17	36.72	2	1	4	7	20.16	300	3.00	164.52
74	Varanasi	Ghazipur	82	147	229	137.40	24	2	26	25.740	14	3	17	36.72	0	0	1	1	2.88	300	3.00	205.74
75	Varanasi	Varanasi	32	43	75	45.00	18	2	20	19.800	0	2	2	4.32	1	0	0	1	2.88	300	3.00	75.00
TOTAL			4194	2007	6201	3720.60	1436	153	1589	1573.110	401	140	541	1168.56	60	15	41	116	334.08	22500	225.00	7021.35

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0
विशाल काम्प्लेक्स, 19–ए, विधान सभा मार्ग
लखनऊ

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

467-72

पत्रसंख्या :एन.आर.एच.एम./एस.पी.एम.यू./मातृस्वा0/सं.क./105/2012–13/ दिनॉक 20.6.2012

विषय : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 हेतु प्रसव इकाइयों (डिलीवरी प्वाइंट) पर संविदा कर्मियों के पदों की स्वीकृति के सम्बन्ध में संशोधित पत्र।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय के पत्र संख्याः एन0आर0एच0एम0/ एस0पी0एम0यू/ मातृस्वा0/105/2012–13/527 दिनॉक 15.6.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपर्युक्त दिशा–निर्देश में निम्नलिखित संशोधन किये जा रहे हैं--

1. पूर्व में कार्यरत संविदा कर्मियों को उनके कार्य/व्यवहार का मूल्यांकन पूर्व में संलग्न प्रपत्र पर कर आर0ओ0पी0 के अनुसार स्वीकृत पदों के सापेक्ष जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त उनका पुनर्अनुबन्ध शीघ्र कर लिया जावे।
2. समस्त संविदा कर्मियों के अनुबन्ध विधिनुरूप रू0 100.00 (रूपये सौ) के स्टाम्प पेपर पर किये जायेंगे।
3. पूर्व प्रेषित दिशा–निर्देश के विषय में त्रुटिवश वर्ष 2011–12 अंकित हो गया है जिसे वर्ष 2012–13 पढ़ा जाय।
4. समस्त संविदा कर्मियों के मानदेय हेतु प्रथम किश्त के रूप में 06 माह के लिए धनराशि प्रेषित की जा रही है। अवशेष धनराशि नियत समय पर भेज दी जायगी।

पुनर्अनुबन्ध किए जाने से पूर्व नियन्त्रक अधिकारी द्वारा यह सत्यापित करा लें कि पुनर्अनुबन्ध किए जाने वाले कार्मिक का कार्य विगत वर्ष में संतोषजनक रहा है तथा पुनर्अनुबन्ध की तिथि से ही मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करायें। प्रत्येक कार्मिक के खाते में मानदेय का भुगतान ई–ट्रान्सफर द्वारा किया जाय। सभी संविदा कार्मिकों का विस्तृत विवरण फोटोग्राफ सहित विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाय एवं सबके कार्यों की समीक्षा प्रतिमाह जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में की जाय।

भवदीय

20/06/12

(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या :एन.आर.एच.एम./एस.पी.एम.यू./मातृ.स्वा./सं.क./105/ तद्‌दिनॉक प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तर प्रदेश।

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या : 307/एनआरएचएम/एसपीएमयू/एमडी कैम्प/2012-13/598-72 दिनाँक 27.6.2012

विषय : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 हेतु संविदा कर्मियों की तैनाती विषयक।

महोदय,

जनपदों से प्राप्त पृच्छाओं एवं दिनांक 21.06.2012 को प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा की गयी वीडियो कॉन्फरेन्सिंग में बताई गई समस्याओं जिनमें जनपदों से विशेषज्ञों के स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति/प्रोन्नति के कारण चिकित्सा इकाइयों में गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान करने में आ रही परेशानी सम्मिलित है, के कम में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में संविदा कर्मियों की तैनाती हेतु पुनः स्पष्ट किया जाता है कि-

1. जनपद स्तर पर कियाशील L-1, L-2 (24x7) एवं L-3 (प्रथम सन्दर्भन इकाई) डिलीवरी प्वाइंट पर वर्तमान में मानव संसाधन की उपलब्धता, आवश्यकता एवं उपयोगिता का आंकलन कर पूर्व मे स्वीकृत पदों के सापेक्ष संविदा कर्मियों के तैनाती स्थल जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त परिवर्तित किए जा सकते हैं किन्तु यह आवश्यक है कि वर्तमान में कियाशील इकाइयों की संख्या एवं गुणवत्ता में कोई कमी न आने पाये। स्थल परिवर्तन एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत संचालित कार्यकम के हित में हो जिससे संविदा कर्मियों का भरपूर उपयोग किया जा सके।
2. संविदा कर्मियों की आयु 65 वर्ष से अधिक न हो तथा वे शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु सक्षम हों।
3. यदि कोई जनपद पूर्व में स्वीकृत किए गए पदों के अतिरिक्त अधिक पद चाहते हैं तो वे उच्चीकृत की जाने वाली अतिरिक्त प्रसव इकाइयों L-2 (24x7) एवं L-3 (प्रथम सन्दर्भन इकाई) के चिन्हीकरण के साथ औचित्यपूर्ण प्रस्ताव जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदनोपरान्त महानिदेशक परिवार कल्याण को प्रेषित करें। ऐसी स्थिति में जनपद अतिरिक्त प्रसव इकाइयों L-2 (24x7) एवं L-3 (प्रथम सन्दर्भन इकाई) को कियाशील करने हेतु प्रतिबद्ध होगा।
4. यदि वर्तमान समय में स्थानान्तरण या नवीन नियुक्तियों आदि के कारण जनपद में मानव संसाधन आवश्यकता से अधिक उपलब्ध हो गया हो तो एस0पी0एम0यू0 कार्यालय को सूचित कर दें जिससे वे पद राज्य स्तर पर सुरक्षित किए जा सकें।
5. संविदा पर इस वर्ष पृथक-पृथक पदों पर नियुक्त किए जा रहे कुल संविदा कर्मियों की संख्या के सापेक्ष यथासम्भव आरक्षण के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. उपरोक्त निर्देश अन्य पदों पर भी लागू किये जाएं।

भवदीय,

27/06/12

(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या : 307/एनआरएचएम/एसपीएमयू/एमडी कैम्प/2012–13/ तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त डिवीजनल प्रोग्राम मैनेजर्स, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
8. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक